न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/442/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री बब्बल सिंह गुर्जर, वरिष्ठ सहायक तत्का0 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई हॉल– कार्यालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) टोंक जिला टोंक विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) के आदेश क्रमांकः– एसडीएम/निवाई/स्थापना/वि.जांच/श्री बब्बल सिंह/2020/1057 दिनांक– 18.06.2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (With hoid Two grade increament without cummulative effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री बब्बल सिंह गुर्जर, वरिष्ठ सहायक, तत्का0 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ हॉल– कार्यालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) टोंक जिला टोंक।

निर्णय

दिनांकः– 23.11.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) के आदेश दिनांक 18.06.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांकः– 440 दि. 24.03.2020 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. यह है कि आप श्री बब्बल सिंह गुर्जर तत्कालीन वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत रहने के दौरान आपको कार्यालय न्यायालय (एसडीएम) निवाई (टोंक) में रीडर के उत्तरदायित्व का कार्यभार आवंटित किया गया था। जिसमें आपके द्वारा सम्बन्धित पत्र, पत्रावलियॉ एवं फाईलों का संधारण, सम्पादन एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी को नोटशीट/फाईल प्रस्तावित किया जाना था तथा समस्त प्रकार की कार्यवाही/कार्य सम्पादन नियन्त्रण अधिकारी के ध्यान में लाकर एवं स्वीकृति से ही किया जाना था। सुरक्षा एवं सुगमता की दृष्टि से आपको अलग कक्ष/बैठक व्यवस्था भी आवंटित की हुई थी तथा प्राभारिक समस्त

पत्रावलिया/फाईल्स आपके नियन्त्रणाधीन थी। किन्तु दिनांक 03.12.2019 को फाईल ''ग्यारसीलाल बनाम संजय'' को अनुचित एवं असंगत सामग्रीयुक्त, बिना सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाये, गुपचुप तरीके से किसी व्यक्ति द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई के कक्ष में/टेबल के उपर रख दी गई अथवा रखवा दी गई, जो कि आपकी घोर लापरवाही को दर्शाता है, जिससे कार्यालय की छवि धूमिल हुई है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि मे जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (With hoid Two grade increament without cummulative effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी निवाई के उक्त दण्डादेश दिनांक 18.06.2020 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी निवाई का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी निवाई से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (With hoid Two grade increament without cummulative effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई में रीडर के पद पर कार्यरत था और नियमित रूप से सभी फाईलों के संधारण, पूर्ति आदि का कार्य माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय के आदेशानुसार करता आ रहा था। प्रार्थी द्वारा किसी भी पत्रावली में बिना किसी आदेश के किसी प्रकार की कोई टीका–टिप्पणी भी स्व–विवेक के आधार पर कभी भी अंकित नहीं की गई है और न्यायालय में जैरकार समस्त पत्रावलियों में प्रार्थी का ध्यान मात्र अधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार अंकन करने का रहा है। जहां तक उपखण्ड अधिकारी निवाई के द्वारा दिनांक 03.12.2019 को पत्रावली ग्यारसीलाल बनाम संजय का उपखण्ड अधिकारी निवाई की टेबल पर मिलने का प्रश्न है, तो उसमें प्रार्थी का स्पष्ट रूप से अभिकथन यह है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से तो समस्त पत्रावलियों के संरक्षण का दायित्व प्रार्थी का ही है परन्तु कार्य सम्पादन की दृष्टि से समस्त कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के आदेशों में निहित है। अतः प्रार्थी की

अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी निवाई के दण्डादेश दिनांक 18.06.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ यक होने पर प्रारम्भिक जांच कराये जाने का प्रावधान/व्यवस्था है। इस मामले की प्रकृति के अनुसार आरोपों को स्थापित किए जाने से पूर्व प्रारंभिक जांच अत्यावश्यक है। प्रारम्भिक जांच के बिना इस प्रकरण में आरोप स्थापित करना अधिकारी का पूर्वागृह है। आरोप केवल इतना है कि अमुख पत्रावली अमुख समय मंगवाए बिना असंगत सामग्री के साथ अधिकारी के कक्ष में कैसे आ गई अथवा पहुचा दी गई। इसकी तथ्यात्मक आरंभिक जांच किए बिना किसी पर भी दोष गढना न्याय का सिद्धान्त नहीं है। उपखण्ड अधिकारी निवाई ने आरोप को प्रमाणित मानने के कोई कारण अंकित नहीं किये है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 18.06.2020 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री बब्बल सिंह गुर्जर, वरिष्ठ सहायक, तत्का0 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, हॉल–कार्यालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) टोंक जिला टोंक के विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक) द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 18.06.2020 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर